//कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, भोपाल (म०प्र०)//

क्रमांक 218 /अजिंद / 2020 भोपाल, दिनांक 22 मार्च, 2020

//आदेश//
(अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

विभिन्न स्त्रोंतों से प्राप्त जानकारी अनुसार जबलपुर में कोरोना के 04 प्रकरण पॉजिटिव मिले हैं तथा महाराष्ट्र में भी उक्त वायरस का प्रकोप जारी है जिले से प्रतिदिन बड़ी भारी संख्या में लोग महाराष्ट्र एवं जबलपुर आना–जाना करते हैं, कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने की दृष्टि से मैं तरूण कुमार पिथोड़े, जिला मजिस्ट्रेट भोपाल एतद द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए संपूर्ण भोपाल जिले की समस्त राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश तक निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करता हूँ :–

1– जिले में तत्काल प्रभाव से टोटल लॉकडाउन घोषित किया जाता है, टोटल लॉकडाउन में किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी ।

2– जिले की सभी सीमाएँ सील की जाती हैं, किसी भी माध्यम सड़क एवं रेल से जिले की सीमा में बाहरी लोगों का आगमन प्रतिबंधित किया जाता है ।

3– जिले में निवासरत नागरिकों को भी जिले की सीमा से बाहर जाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है ।

4– जिले के समस्त शासकीय, अर्द्ध शासकीय कार्यालय बंद किए जाते हैं । अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग यथा राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगरपालिका, पंचायत आदि इससे मुक्त रहेंगे ।

5– मेडीकल दुकान और हॉस्पिटल, सब्जी, किराना दुकान, दूध की दुकान, सॉची पॉलर, पेट्रोल पम्प को छोड़कर शेष समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद किये जाते हैं ।

उक्त प्रतिबंध निम्नलिखित परिस्थितियों में शिथिल रहेंगे :–

6– इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से टोटल लॉकडाउन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे, लेकिन उक्त कर्मचारियों को अपने साथ आईकार्ड रखना अनिवार्य होगा ।

7– घर–घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर प्रातः 06.30 बजे से 09.30 बजे तक टोटल लॉकडाउन से मुक्त रहेंगे ।

8– अगर किसी व्यक्ति को घर से बाहर निकलना या जिले से बाहर निकलना या जिले के बाहर से जिले में प्रवेश करना आवश्यक हो तो संबंधित थाना क्षेत्र से निर्धारित फार्मेट में पास प्राप्त करने पर ही अनुमति होगी ।

9– मास्क, सेनिटाईजर, दवाईयॉ, आवश्यक वस्तुओ को परिवहन करने वाले वाहनो का प्रवेश एवं निकासी जारी रहेगा ।

10– आवश्यक वस्तुओ, दवाईओ आदि उत्पादन करने वाले उद्योगो एवं उसमें काम करने वाले कर्मचारियों को डी.एम./ए.डी.एम./ एस.डी.एम. कार्यालय से अनुमति प्राप्त करने पर उपरोक्त प्रतिबंद्ध से मुक्त रहेगें ।

यह आदेश आम जनता को संबोधित है । चूँकि वर्तमान में मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियॉ नहीं हैं और न ही यह संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जावे । अतः यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है । इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी ।

निरंतर..2

TKP

Scanned with CamScanner

यह आदेश तत्काल प्रभाव से **दिनांक 24.03.2020 की रात्रि 12.00 बजे तक** लागू रहेगा ।
यह आदेश दिनांक 22.03.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया ।

(तरूण कुमार पिथोड़े)
जिला मजिस्ट्रेट, भोपाल

क्रमांक 219 / अजिंद / 2020 भोपाल, दिनांक 22 मार्च, 2020

प्रतिलिपि :— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु —

1— प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल ।
2— आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल ।
3— पुलिस महानिरीक्षक, भोपाल झोन भोपाल ।
4— निदेशक, एयरपोर्ट अथारिटी भोपाल ।
5— उप पुलिस महानिरीक्षक, शहर रेंज भोपाल ।
6— आयुक्त, नगर पालिक निगम भोपाल ।
7— समस्त अपर जिला मजिस्ट्रेट, समस्त एसडीएम / समस्त कार्यपालिक मजिस्ट्रेट भोपाल ।
8— समस्त पुलिस अधीक्षक / समस्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक / समस्त नगर पुलिस अधीक्षक / समस्त थाना प्रभारी, जिला भोपाल ।
9— मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / सिविल सर्जन, जेपी हॉस्पिटल भोपाल / अधीक्षक, हमीदिया हॉस्पिटल, भोपाल / जिला आयुष अधिकारी एवं सभी चिन्हित / अधिकृत स्वास्थ्य संस्थायें या नोडल अधिकारी भोपाल ।
10— केन्द्र निदेशक आकाशवाणी / दूरदर्शन भोपाल ।
11— उप संचालक, संभागीय जनसंपर्क भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
12— प्रभारी अधिकारी पुलिस नियंत्रण कक्ष, जहांगीराबाद भोपाल ।

(तरूण कुमार पिथोड़े)
जिला मजिस्ट्रेट, भोपाल

Scanned with CamScanner